वित्तीय स्वीकृति (2017-18)

संख्या-14/2017/2044/एक-5-2017-99/2015 टी0सी0

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5 **लखनऊ :: दिनांक 20 नवम्बर, 2017**

विषयः- जनपद कुशीनगर की तहसील पडरौना के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु अवशेष अन्तर की धनराशि स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व परिषद के पत्र संख्या-1194/12-भवन, दिनांक 28 सितम्बर, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कुशीनगर की तहसील पडरौना के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-1463/एक-5-2015-99/2015, दिनांक 24 नवम्बर, 2015 के द्वारा मानकीकृत लागत रू0 264.23 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 50.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-582/एक-5-2016-99/2015, दिनांक 13 जून, 2016 के द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 214.23 लाख अर्थात् मानकीकृत लागत रू0 264.23 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। उक्त स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण न होने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-890/एक-5-2016-99/2015 टी0सी0, दिनांक 24 नवम्बर 2016 के द्वारा प्रायोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 507.98 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त के अनुक्रम में शासनादेश संख्या-1877/एक-5-2016-99/2015 टी0सी0, दिनांक 02 जनवरी, 2017 के द्वारा प्रायोजना की अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 507.98 लाख में से पूर्व में उपरोक्तानुसार अवमुक्त की गई धनराशि को घटाते हुए, अवशेष अन्तर की धनराशि रु0 243.75 लाख के सापेक्ष तृतीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) अवमुक्त की गयी अर्थात अब तक कुल रु0 314.23 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। उक्त के अनुक्रम में उक्तम कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु अवशेष धनराशि रू0 193.75 लाख (रूपये एक करोड़ तिरान्नबे लाख पच्हत्तर हजार मात्र) की धनराशि चतुर्थ/अन्तिम किश्त के रूप में अवमुक्त कर उक्त प्रयोजन हेतु नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यरपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) राजस्व परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि नियमानुसार आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उक्त प्रयोजन हेतु शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।

(2) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराये गये कार्य की गुणवत्ता निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय से उपलब्ध कराया जाय। निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के अन्दर पूर्ण भी किया जाय।

(3) स्वीकृति धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

03 अगस्त, 2017 के द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत कार्य हेतु स्वीकृत संबन्धी पूर्व में निर्गत शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा

(4) स्वीलकृत धनराशि को डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखा जायेगा।

(5) राजस्व परिषद/सम्बरन्धित जिलाधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्तमान में प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता का किसी प्रकार से उल्लाघंन न हो।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-01-सरकारी रिहायशी भवन-106-साधारण पूल आवास-07-प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के आवासीय भवनों के चालू कार्यों एवं भूमि क्रय हेतु-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्तग, 2017 के द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
आनन्दि कुमार सिंह
विशेष सचिव।

<u>संख्या-14/2017/2044(1)/एक-5-2017-99/2015 टी0सी0, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- जिलाधिकारी, कुशीनगर।
6- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्यग निर्माण सहकारी संघ लि0 (पूर्ववर्ती पैकफेड)/संबंधित परियोजना प्रबंधक।
7- राजस्व अनुभाग-6
8- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,
गिरीश चन्द्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।